न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 05/2023

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी चिरपटिया पुलिस थाना मारवाड जक्शन जिला पाली हाल ओम बन्ना होटल नेशनल हाईवे 62 सरहद वीरवाडा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2020 को नया सानवाडा से वीरवाडा जाने वाले नेशनल हाईवे 62 पर ओम बन्ना होटल के पीछे बबूल की झाडियों में होटल मालिक के पास से एक प्लॅास्टिक का ड्रम 210 लीटर क्षमता का तथा लोहे के 11 टीन प्रत्येक 15 लीटर क्षमता के तथा एक प्लॅास्टिक की ढोलकी पीले रंग की 20 लीटर क्षमता की पूर्ण भरे हुए पाए गए एवं 2 ड्रम 220 लीटर क्षमता के, जिनमें एक ड्रम में 50 लीटर तथा दूसरे में करीबन 150 लीटर डीजल भरा हुआ था। इस प्रकार करीबन कुल 595 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 08.06.2020 को मय थानाधिकारी पिण्डवाडा को जरिए दूरभाष श्री निर्मल कुमार खत्री उप [illegible]ारी डीएसटी सिरोही द्वारा इत्तला दी कि उसे खास मुखबिर से सूचना [illegible] सानवाडा से वीरवाडा जाने वाले नेशनल हाईवे 62 पर ओम बन्ना होटल के पीछे बबूल की झाडियों में होटल मालिक श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री [illegible] जाति राजपूत निवासी चिरपटिया पुलिस थाना मारवाडा जक्शन जिला पाली हाल ओम बन्ना होटल नेशनल हाईवे 62 सरहद वीरवाडा पुलिस थाना पिण्डवाडा सिरोही द्वारा टैंकरों में से सस्ते भाव में डीजल खरीदकर अवैध रूप से ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ है। जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:14:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

डेकोय कानि लक्ष्मीलाल ने मन सीओ के निर्देशानुसार रवाना होकर ओम बन्ना होटल के पीछे पहुंचकर डीजल विक्रेता से डीजल खरीदकर सिर पर हाथ घुमाकर इशारा किया, जिस पर सीओ मय जाब्ता के पहुंचे, तो होटल मालिक श्री हनुमानसिंह ने भागने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचने पर होटल के झाडियों में रखे एक प्लॉस्टिक का ड्रम 210 लीटर क्षमता का पूर्ण भरा हुआ तथा लोहे के 11 टीन प्रत्येक 15 लीटर क्षमता के पूर्ण भरे हुए तथा एक प्लॉस्टिक की ढोलकी पीले रंग की 20 लीटर क्षमता की पूर्ण भरी हुई पाई गई एवं 2 ड्रम 220 लीटर क्षमता के जिनमें एक ड्रम में 50 लीटर तथा दूसरे में करीबन 150 लीटर डीजल भरा हुआ था। इस प्रकार करीबन कुल 595 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त ड्रमों को चैक करने पर उक्त तरल पदार्थ डीजल होना प्रतीत हो रहा था एवं श्री हनुमान से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने ड्रमों में डीजल भरा होना बताया, जिसे वह हाईवे होटलो पर खडे टैंकर चालकों से कम दाम में खरीदकर बाजार भाव से कम दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है तथा पुलिस के डर की वजह से वह इन ड्रमों को होटल के पीछे झाडियों में तथा होटल के सामने खेत में टावर के नीचे छिपाकर रखता है। श्री हनुमानसिंह से उक्त डीजल के अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त डीजल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ था। अतः अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि डीजल का व्यापार खुला है अर्थात खेती के लिए आराम से मिलता है तथा अप्रार्थी के हाईवे पर होटल के पीछे कृषकों की खेती के लिए रखा डीजल का गलत रूप से विक्रय करने का मामला बनाया है, जबकि 1500 लीटर डीजल रखना कोई अपराध नहीं है। इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है। यह है कि अप्रार्थी के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूपर्वत के न्यायालय में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है वह विचाराधीन है, उसमें भी गलत तथ्यों के आधार पर पुलिस ने चालान पेश किया है। यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय बुद्धाराम बनाम राज्य में यह आदेश दिया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट (Maintenance and Production Storage and Supply) ऑर्डर 1999 को 2500 लीटर डीजल तक डीजल या पेट्रोल विक्रय किया जा सकता है। पुलिस ने डीजल को अप्रार्थी का माना है, जो कानून की दृष्टि से कोई अपराध नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाकर अप्रार्थी के जब्त डीजल मय ड्रम को अप्रार्थी का पुनः सुपूर्द करावें।

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

उभय पक्ष की सुनी गई बहस [illegible] किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2020 को मन वृत्ताधिकारी पिण्डवाडा को जरिए टेलीफोन श्री निर्मल [illegible] खत्री उप निरीक्षक प्रभारी डीएसटी सिरोही द्वारा इत्तला दी कि उसे खास मुखबिर से सूचना मिली कि नया सानवाडा से वीरवाडा जाने वाले नेशनल हाईवे 62 [illegible] ओम बन्ना होटल के पीछे बबूल की झाडियों में होटल मालिक श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी चिरपटिया पुलिस थाना मारवाडा जक्शन जिला पाली हाल ओम बन्ना होटल नेशनल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:14:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

हाईवे 62 सरहद वीरवाडा पुलिस थाना पिण्डवाडा सिरोही द्वारा टैंकरों में से सस्ते भाव में डीजल खरीदकर अवैध रूप से ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ है। जिस पर डेकोय कानि लक्ष्मीलाल ने मन सीओ के निर्देशानुसार रवाना होकर ओम बन्ना होटल के पीछे पहुंचकर डीजल विक्रेता से डीजल खरीदकर सिर पर हाथ घुमाकर इशारा किया, जिस पर सीओ मय जाब्ता के पहुंचे, तो होटल मालिक श्री हनुमानसिंह ने भागने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचने पर होटल के झाडियों में रखे एक प्लॉस्टिक का ड्रम 210 लीटर क्षमता का पूर्ण भरा हुआ तथा लोहे के 11 टीन प्रत्येक 15 लीटर क्षमता के पूर्ण भरे हुए तथा एक प्लॉस्टिक की ढोलकी पीले रंग की 20 लीटर क्षमता की पूर्ण भरी हुई पाई गई एवं 2 ड्रम 220 लीटर क्षमता के जिनमें एक ड्रम में 50 लीटर तथा दूसरे में करीबन 150 लीटर डीजल भरा हुआ था। इस प्रकार करीबन कुल 595 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त ड्रमों को चैक करने पर उक्त तरल पदार्थ डीजल होना प्रतीत हो रहा था एवं श्री हनुमान से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने ड्रमों में डीजल भरा होना बताया, जिरो वह हाईवे होटलो पर खडे टैंकर चालकों से कम दाम में खरीदकर बाजार भाव से कम दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है तथा पुलिस के डर की वजह से वह इन ड्रमों को होटल के पीछे झाडियों में तथा होटल के सामने खेत में टावर के नीचे छिपाकर रखता है। श्री हनुमानसिंह से उक्त डीजल के अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त डीजल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ था। अतः अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया।

इस सम्बन्ध में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया डीजल अप्रार्थी के मालिकी स्वामित्व का है, परन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में डीजल क्रय किए जाने के सम्बन्ध में बिल इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए है एवं न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त कब्जे सरकार लिए गए डीजल को अप्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता कब्जे सरकार लिए गए डीजल पर अपना मालिकाना हक साबित करने में असफल रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मौके पर प्रार्थी द्वारा कानि लक्ष्मीलाल को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा गया था, जिसने अप्रार्थी से डीजल क्रय किया, जिसके द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल का अवैध रूप से भण्डारण व बेचान किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौके पर की गई कार्यवाही में अप्रार्थी स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह कब्जे सरकार लिए गए डीजल को हाईवे होटलो पर खडे टैंकर चालकों से कम दाम में खरीदकर आगे ग्राहकों को बाजार भाव से कम दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है तथा पुलिस के डर की वजह से वह इन ड्रमों को होटल के पीछे झाडियों में तथा होटल के सामने खेत में टावर के नीचे छिपाकर [illegible] है कि अप्रार्थी द्वारा डीजल का अवैध भण्डारण कर बेचान किया जा [illegible] अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय [illegible] सरकार में पारित निर्णय में अधिकृत पेट्रोल पम्प से खरीदकर 2500 [illegible] तक डीजल का भण्डारण सही माना है, परन्तु इस प्रकरण में [illegible] को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में अवैध रूप से खरीद किया गया [illegible] तथा आगे ग्राहकों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:14:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सस्ते दामों में बेचान किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा बुद्धाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय इस प्रकरण में लागू होना नहीं पाया जाता है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 595 लीटर डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 595 लीटर डीजल का एवं उपयोग में लिए गए ड्रमों व लोहे की टीन व प्लॉस्टिक की ढोलकी निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:14:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner